

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रेम नाथ पासवान एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2019 की दीवानी पुनरीक्षण सं.369

09 नवंबर 2022

(माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या 1994 के पैनल में शामिल दैनिक वेतनभोगी वर्ग-4 के कर्मचारी आगामी वर्षों (2001, 2006) में उसी आधार पर नियमितीकरण अथवा नियुक्ति का दावा कर सकते हैं, और क्या वही मुद्दा, जो अपीलीय पीठ द्वारा निर्णीत हो चुका है, पुनरीक्षण याचिका में पुनः विचारणीय है।

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता वही तर्क और वही तथ्यों का आधार पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं जिन्हें अपीलीय न्यायालय द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जा चुका है। याचिकाकर्ता यह दलील देते हैं कि 1994 की पैनल सूची में शामिल कुछ व्यक्तियों को वर्ष 2011, 2012 और 2017 में नियुक्ति मिली, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था, परंतु उनका नाम या तो भूलवश या जानबूझकर सूची में शामिल नहीं किया गया। यह दलील पूर्णतः अस्वीकार्य है क्योंकि यह न्यायालय नहीं जानता कि 1994 की सूची में सम्मिलित वे व्यक्ति, जिन्हें बाद के वर्षों (2011, 2012, 2017) में नियुक्ति मिली, उन्होंने बाद की सूचियों में सम्मिलित होने हेतु आवेदन किया था या नहीं। (पृष्ठ 5, 6)

अब यह कहना बहुत विलंबित होगा कि यद्यपि पुनर्विचार का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त है, फिर भी यह प्रत्येक पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में अंतर्निहित रूप से निहित रहता है

ताकि न्याय की चूक को रोका जा सके या किसी गंभीर अथवा स्पष्ट त्रुटि को सुधारा जा सके, तथापि ऐसे अधिकार के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। (पृष्ठ 6)

याचिका निरस्त की जाती है। (पृष्ठ 7)

न्याय दृष्टान्त

एरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम एरिबम पिशक शर्मा एवं अन्य, (1979) 4 एस.सी.सी. 389; श्री राम साहू (मृत) प्रतिनिधियों द्वारा बनाम विनोद कुमार रावत एवं अन्य, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 896

अधिनियमों की सूची

कोई नहीं

मुख्य शब्दों की सूची

पुनरीक्षण याचिका; वर्ग-4 कर्मचारी; पैनल; नियमितीकरण; पुनरीक्षण की शक्ति; नया साक्ष्य

प्रकरण से उत्पन्न

एल.पी.ए. संख्या 372/2018, जो सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 10679/2012 से उत्पन्न है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री कुमार मधुरेंद्र, अधिवक्ता; श्री संजय कुमार घोसरवे, अधिवक्ता
विपक्ष/ओं के लिए : श्री मो. खुर्शीद आलम, ए.ए.जी-12

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.372
में
2019 की दीवानी पुनरीक्षण सं.369

- =====
1. प्रेम नाथ पासवान, पिता-श्री गया पासवान, निवासी गांव-गोबरसाही, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर
 2. जितेंद्र कुमार चौधरी, पिता-श्री सोन लाल चौधरी, निवासी गांव-मोरनिसाफ, थाना-मनियारी, जिला-मुजफ्फरपुर
 3. अनिल कुमार चौधरी, पिता-मुखी लाल चौधरी, निवासी गांव और डाकघर-कर्मा, थाना-कुरहानी, जिला-मुजफ्फरपुर
 4. संजय कुमार पासवान, पिता-स्वर्गीय चुलहाई पासवान, निवासी गांव-सकरा मंसूरपुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर
 5. सुनील कुमार रजक, पिता-स्वर्गीय गोरख रजक, निवासी गांव-जोगियामठ सेराजगंज, थाना- नगर, जिला-मुजफ्फरपुर
 6. बिशुंडेयल पासवान, पिता-श्री बासुदेव पासवान, निवासी गांव-बोचाहा, थाना-बोचाहा, जिला-मुजफ्फरपुर
 7. दीपक कुमार रजक, पिता-श्री सीताराम रजक, निवासी गांव-पुरानी बाजार (सियनारायण मंदिर), थाना- मिठानपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर
 8. कपिलदेव पासवान, पिता-यदुनंदन पासवान, निवासी गांव-बोबरसाही, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर
 9. संजीत कुमार चौधरी, पिता-कृष्ण कुमार चौधरी, निवासी गांव और डाकघर-सुस्ता माधोपुर, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर
 10. विश्वनाथ राम, पिता-रामदेव राम, निवासी गांव-पटियासा जलाल, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर
 11. मेघु रजक, पिता-श्री योगेंद्र रजक, निवासी गांव-नयागांव, थाना-मिज़हरी, जिला-मुजफ्फरपुर
 12. दौलत कुमार, पिता-स्वर्गीय डोमन राम, निवासी गांव-सेलाहपुर, थाना-आरजू, जिला-मुजफ्फरपुर
 13. कामेश्वर राम, पिता-भीखु राम, निवासी गांव-श्रीरामपुर, थाना-कथैना, जिला-मुजफ्फरपुर
 14. महेन्द्र राम, पिता-जागेश्वर राम, निवासी गांव और डाकघर-डुमरी, थाना-मुसहरी, जिला-मुजफ्फरपुर
 15. सुशील पासवान, पिता-योगेंद्र चौधरी उर्फ जय किसुन पासवान, निवासी गांव-मोरिसाफ, थाना- मनियारी, जिला-मुजफ्फरपुर

16. जयलाल चौधरी उर्फ जियालाल चौधरी, पिता-योगेंद्र चौधरी, निवासी गांव-मोरिसफ, थाना- मनियारी, जिला-मुजफ्फरपुर
17. शत्रुघ्न पासवान, पिता-श्री रामस्वरूप पासवान, निवासी गांव और डाकघर- कोल्हुआ, थाना- अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर
18. राजकिशोर राम, पिता-राम सुंदर राम, निवासी गांव-खलीलपुर, थाना-करजा, जिला-मुजफ्फरपुर
19. महेंद्र राम सं. 2, पिता-स्वर्गीय बिशेश्वर राम, निवासी गांव और डाकघर- पकोही, थाना-करजा, जिला-मुजफ्फरपुर
20. राधे पासवान, पिता-जेना पासवान, निवासी गांव-सुंदवाड़ा, थाना-कुरहानी, जिला-मुजफ्फरपुर
21. किशुन पासवान, पिता-श्याम एन. आर. पासवान, निवासी गांव और डाकघर-कर्मा, थाना-कुरहानी, जिला-मुजफ्फरपुर
22. संजय पासवान, पिता-बालेश्वर पासवान, निवासी गांव और डाकघर-कर्मा, थाना-कुरहानी, जिला-मुजफ्फरपुर

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. आयुक्त और सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना
3. सचिव, राजस्व समिति, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से राजस्व समिति
4. आयुक्त, तिरहुत प्रभाग, मुजफ्फरपुर
5. जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर
6. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना
7. उप समाहर्ता, प्रभारी, नजरात, मुजफ्फरपुर
8. राजेश खन्ना, पिता-हीरा रजक, निवासी गांव-अंत्रौलिया, थाना-सराय, जिला-मुजफ्फरपुर।
9. दिलीप कुमार, पिता-गनौर बैठा, निवासी गांव-सुंदर सराय, थाना-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।
10. उमेश कुमार रजक, पिता-गनौर बैठा, निवासी गांव-सुंदर सराय, थाना- मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।

... .. विपक्ष/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री कुमार मधुरेंद्र, अधिवक्ता

श्री संजय कुमार घोसरवे, अधिवक्ता
विपक्ष/ओं के लिए : श्री मो. खुर्शीद आलम, ए.ए.जी-12

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तारीख: 09-11-2022

संशोधनवादी/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार घोसरवे और विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सं. 12, मो. खुर्शीद आलम को सुना गया।

याचिकाकर्ता 2018 के एल. पी. ए. संख्या 372 में पारित दिनांक 20.08.2019 के फैसले की पुनरीक्षण चाहते हैं, जिसके द्वारा 2012 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 10679 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें बाद के वर्षों में विशेष रूप से 2001 और 2006 में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था, जब उन्हें 1994 के पैनल में शामिल किया गया था, उनका समर्थन और पुष्टि की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के दिनांक 17.08.2011 के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि 1994 का पैनल रद्द कर दिया गया था; और न्यायालय से आगे निर्देश मांगे थे कि एक नया पैनल तैयार किया जाए; उन्हें उस पैनल में शामिल किया जाए और नियुक्ति दी जाए।

यह ध्यान दिया जाए कि उस समय याचिकाकर्ताएं चतुर्थ श्रेणी के पद पर दैनिक मजदूर थे। ऐसे व्यक्तियों के नियमितीकरण के लिए, एक रिट याचिका और उसके बाद एक अवमानना याचिका में इस न्यायालय के आदेशों के तहत, वर्ष 1994 में एक पैनल तैयार किया गया था, जिसमें अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल थे। हालांकि, वर्ष

2000 में पैनल समिति ने 1994 की सूची को गलत पाया, क्योंकि इसमें केवल एक ही वर्ग के लोगों के नाम थे और सूची में रिक्तियों की तुलना में दस गुना अधिक लोग थे, इसलिए ऐसी सूची को अवैध पाया गया। वर्ष 2000 में, जैसा कि इस मामले के अभिलेखों से पता चलता है, सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी और ऐसी नियुक्तियों को कभी भी याचिकाकर्ताओं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी जिसका नाम 2000 के बाद के पैनल में शामिल नहीं किया गया था। बाद के वर्षों में, यानी 2001 और 2006 में, याचिकाकर्ताओं ने सूची में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया था, जिस सूची पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम करने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति देने के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। राज्य के इस दावे को इस आधार पर खारिज करने की कोशिश की जा रही है कि अभिलेख पर मौजूद तथ्य कुछ और ही बताते हैं। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2000, 2001 और 2006 में आवेदन किया था, जो तथ्य याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका में कहा गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसे ध्यान में नहीं रखा गया था।

यह आगे प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि उन्होंने नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए विभिन्न वर्षों की सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया था।

एल. पी. ए. न्यायालय ने इस कथन के आधार पर कि ऐसा बयान रिट याचिका में दिया गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, पूरे अभिलेखों की विस्तार से जाँच की और पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के पास पैनल समिति के निष्कर्षों पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य था कि याचिकाकर्ताओं ने बाद के वर्षों में आवेदन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। अपीलीय न्यायालय ने आगे यह भी पाया कि खंड पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई सूची, जिसे संभवतः जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में रखा जा रहा था, एक वास्तविक दस्तावेज नहीं था क्योंकि इसका कोई प्रमाणित संस्करण नहीं था और

इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि इसे विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में क्यों नहीं लाया गया था।

इन कारणों से, अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील में प्रस्तुत की गई सूची में कोई संभावित मूल्य नहीं जोड़ा, जो दर्शाता है कि उन्होंने बाद के वर्षों में आवेदन किया था और रोजगार के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार को समाप्त करना अनुचित था।

याचिकाकर्ताएं उन्हीं तथ्यों के आधार पर उन्हीं आधारों पर बहस करना चाहते हैं जिन्हें अपीलीय न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने एक बार फिर इस तथ्य पर भरोसा किया है कि जिन व्यक्तियों को 1994 के पैनल में शामिल किया गया था, उन्हें बाद में वर्ष 2011, 2012 और 2017 में रोजगार मिला, तथा उन्होंने तर्क दिया कि यह मानने का एक निश्चित आधार है कि याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था, लेकिन ऐसी सूचियों में उनका शामिल न होना या तो अनजाने में या जानबूझकर किया गया था।

यह याचिका पूरी तरह से स्वीकार करने के योग्य नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि जिन व्यक्तियों को 1994 की सूची में शामिल किया गया था और जिन्हें अंततः वर्ष 2011, 2012 या 2017 में रोजगार दिया गया था, उन्होंने बाद के वर्षों की सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया था या नहीं।

हमें यह घोषित करने में बहुत देर हो चुकी है कि हालांकि पुनरीक्षण करने की शक्ति कानून द्वारा प्रदत्त है, लेकिन यह न्याय की किसी भी चूक को रोकने या गंभीर या स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाले प्रत्येक न्यायालय में भी निहित है, ऐसी शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। इस तरह की पुनरीक्षण याचिका में आदेश पर फिर से विचार केवल तभी किया जा सकता है जब साक्ष्य के एक महत्वपूर्ण मामले के संबंध में एक नए तथ्य का पता चलता है, जो कि मामले के अंतिम निर्णय के समय याचिकाकर्ता के ज्ञान में नहीं था, यहां तक कि समुचित तत्परता के बावजूद भी नहीं।

[अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा एवं अन्य, (1979)

4 एससीसी 389; श्री राम साहू (मृत) एलआरएस एवं अन्य के माध्यम से बनाम विनोद कुमार रावत एवं अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 896 देखें।]

अपीलीय न्यायालय के पास ऐसी सामग्रियों (सूचियों) पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनके पास इनका कोई प्रामाणिक संस्करण नहीं था और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इन्हें प्रस्तुत न करने का कोई उचित कारण भी नहीं था।

इसलिए, हमारा विचार है कि तत्काल मामले में याचिकाकर्ता तथ्यों के उसी समूह के पुनर्मूल्यांकन की उम्मीद कर रहे हैं जो अनिवार्य रूप से एक अपीलीय न्यायालय के प्रांत में है।

वर्तमान कार्यवाही में उठाए गए उन्हीं आधारों के कारण, जिन्हें अपील में खारिज कर दिया गया था, हम पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हैं, लेकिन हमने इसे लागत-मुक्त बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि याचिकाकर्ताएं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे।

अंतर्वर्ती आवेदन(एँ), यदि कोई हो, तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

(संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश)

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

अमरेंद्र/पीकेपी

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।